LALITPUR POLICE

प्रेस नोट

दिनांक- 14.09.2024

साइबर क्राइम थाना ललितपुर की टीम द्वारा फर्जी कॉल सेंन्टर के माध्यम से लोगो को एयरपोर्ट / अन्य विभागों में नौकरी का लालच देकर उनके प्रपत्रों का उपयोग करके षड़यंत्र-पूर्वक, कूट-रचित दस्तावेज तैयार करके हजारो फर्जी कम्पनीं बनाकर, उनको लाखो रूपये में व्यापारी व अन्य लोगों को विक्रय करके करोडो रूपये की धोखाधडी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड कर, गिरोह के मास्टर माइंड सहित 14 नफर अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 07 अदद लेपटॉप, 02 अदद आईफोन , 14 अदद एन्ड्रोइड फोन,15 अदद कीपैड फोन, 102 अदद सिम कार्ड, 710 मेल-आईडी, 28 लेखाजोखा के रजिस्टर, एक अदद वाइफाइ मोर्डम एवं फर्जी कम्पनियो से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रपत्र किये गये बरामद।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर व श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देश के क्रम में, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, ललितपुर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, ललितपुर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में, अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम थाना ललितपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 08/2024 अन्तर्गत धारा 420/419/467/468/471/120B भादवि व 66D आईटी एक्ट साइबर क्राइम थाना ललितपुर, जनपद ललितपुर से सम्बन्धित अभियोग में 05 नफर अभियुक्त (पुरूष) व 09 नफर अभियुक्तायें (महिलायें) को दिनांक 14.09.2024 को प्लॉट न0 53 प्रतीक्षा अपार्टमेंट चौथी मंजिल फ्लैट न0 B-04 दिल्ली से हिरासत पुलिस लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- साइबर क्राइम थाना ललितपुर जनपद ललितपुर पर शिकायतकर्ता राजकुमार रजक पुत्र रमेश रजक नि0 ग्राम विजरौठा मजरा टपरियन थाना तालबेहट जनपद ललितपुर के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्तगण नाम पता अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवरण अंकित कराया था कि मोबाइल नम्बर-9311066592 के उपयोग कर्ता द्वारा वादी को नौकरी लगवाने के नाम पर उसके आधार कार्ड,पैन कार्ड आदि प्रपत्रों के माध्यम से फर्जी कम्पनी रजिस्टर्ड करना तथा कंम्पनी के नाम से एक करोड़ रूपये की धनराशि का लोहा खरीदना तथा GST/कर की चोरी करना तथा दस्तावेजों का दुरूपयोग करना।

इस सूचना पर साइबर क्राइम थाना ललितपुर द्वारा सुसंगत धाराओं में नाम व पता अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता व व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु जनपद स्तरीय SIT टीम गठित की गयी। सर्विलांस (मैनुअली/टैक्नीकल), वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व अन्य एकत्रित साक्ष्यों का अवलोकन व तकनीकी विश्लेषण करके प्राप्त जानकारी के आधार पर अभियुक्तगण 1. चन्दन कुमार मिश्रा उर्फ वरूण मिश्रा पुत्र जितेन्द्र मिश्रा 2. रोहन पुत्र धर्मेन्द्र कुमार सिंह 3. राहुल कुमार झां पुत्र संतोष कुमार झां 4. विपिन जैन पुत्र सतीश चन्द्र जैन 5. सुभम शर्मा पुत्र रमेश कुमार शर्मा... उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

अपराध का तरीक़ा-

- **अभियुक्तों द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से योजना बनाकर** फर्जी कॉल सेंन्टर बनाकर लडकियों के माध्यम से लोगो को कॉल करके एयरपोर्ट / अन्य विभागों में नौकरी लगवाने का झाँसा देकर उनके प्रपत्रों को प्राप्त करना
- उपरोक्त प्रपत्रों का उपयोग करके षड़यंत्र-पूर्वक, हजारो फर्जी कम्पनीं बनाकर रजिस्टर्ड करना, ।
- मोबाइल विक्रेता द्वारा लोगों को गुमराह करके उनका एक्टिवेट सिम प्राप्त करना और इस गिरोह के सरगना को बेच देना।
- फर्जी कम्पनियों का जीएसटी नम्बर लेना
- फर्जी कम्नियो के बिल तैयार करना
- फर्जी कम्पनियों को लाखो रूपये में व्यापारी व अन्य लोगों को विक्रय करके करोड़ो रूपये की धोखाधड़ी करना तथा उनके द्वारा सरकार के टैक्स की चोरी करना।

<u>पूछतांछ का विवरण-</u> अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि साहब हम लोगों का एक सगठित गिरोह है। हम लोगो ने आपस में मिलकर कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से एक प्लान तैयार किया जिसके क्रम में पहला कार्य लोगो को एयरपोर्ट व अन्य विभाग में 10 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह की नौकरी का लालच देकर उनके प्रपत्र प्राप्त करने का काम करते है , उन प्रपत्रों को षड़यन्त्र-पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी कम्पनी बना लेते है। इस कार्य के लिये मो0न0 की आवश्यकता होती है जो हमारी ही टीम के सदस्य सुभम शर्मा व विपिन उपलब्ध कराने का काम करते है जो लोगो को गुमराह करके सिम खरीदने वालो को एक ही आईडी पर धोखा-धड़ी करके दो एक्टिवेटेड सिम तैयार कर लेते थे जिसमें से एक सिम ग्राहक को दे देते थे तथा दूसरी सिम का प्रयोग हम लोग धोखा-धड़ी में करते थे। इस कार्य को सही ढंग से करने के लिये हम लोग कॉल सेंटर के माध्यम से कार्य करते है, जिसमें कॉल करने के लिये लड़कियो को प्रतिमाह 5 हजार रुपये की सैलरी पर नियुक्त कर रखा है, जो पूरे भारतवर्ष में कॉल करके एयरपोर्ट में 10 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह की नौकरी लगवाने के नाम पर लोगो को गुमराह करने का काम करती है तथा उनके दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड व शैक्षिक अभिलेख आदि प्राप्त करके इन प्रपत्रों से षड़यंत्र पूर्वक, कूट-रचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी कम्पनी बनाकर रजिस्टर्ड करते है। इन फर्जी रजिस्टर्ड कम्पनियों को हम लोग ऊँची कीमतो पर हमारे सम्पर्क में रहने वाले व्यापरियों,लोगों को बेंच देते है। जिसके माध्यम से व्यापारी व अन्य लोग फर्जी इनवॉइस/बिल्टी/बिल तैयार करके GST टैक्स/कर चोरी करने का काम करते है और इस कार्य में व्यापारियों को भी बहुत अधिक लाभ होता है। इस कार्य के लिये ऐसे व्यापारी हम लोगो से ज्यादा से ज्यादा कम्पनी अधिक से अधिक दामों में खरीदने का काम करते है। अब तक हम लोगो नें करीब 1000 से भी ज्यादा फर्जी कम्पनी बनाकर व्यापारियों को करोड़ो रुपये में बेंच दी है इस कार्य से जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे हम लोग आपस में मिलकर बराबर-बराबर बांट लेते है। और प्राप्त धन से अपने शौक व जरूरते पूरी करते है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व उम्र –</u>

1. चन्दन कुमार मिश्रा उर्फ वरूण मिश्रा पुत्र जितेन्द्र मिश्रा उम्र करीब 25 वर्ष निवासी B292 राजीव गाँधी मार्ग गली न0 14 भट्ठा रोड़ WXYZ ब्लॉक स्वरूप नगर दिल्ली।
2. रोहन पुत्र धर्मेन्द्र कुमार सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी जीवन पार्क लिवासपुर गली न0 06 शिवमंदिर के पास दिल्ली।
3. राहुल कुमार झां पुत्र संतोष कुमार झां उम्र करीब 21 वर्ष निवासी 707/04 गली न0 16 जीवन पार्क सिरसपुर दिल्ली।
4. विपिन जैन पुत्र सतीश चन्द्र जैन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मकान न0 671 गली न0 09 सिंधी कालौनी स्वरूप नगर दिल्ली।
5. सुभम शर्मा पुत्र रमेश कुमार शर्मा उम्र करीब 29 वर्ष निवासी गली न0 1.5 कुशनगर स्वरूप नगर दिल्ली।

6.स्नेहा पुत्री सुरज सिंह 7.सलोनी पुत्र सुनील तोमर 8.मोनिका पुत्र जुगपत झाँ 9.सृष्टि पुत्र विजय 10.सोनिया पुत्री कुबेर सिंह 11.साक्षी कुमारी पुत्री धीरज झाँ 12.मुस्कान पुत्र राजकुमार चौरसिया 13.नजराना पुत्री मो0फरीद 14.रीता पुत्री प्रताप

<u>बरामदगी का विवरण –</u> कुल 07 अदद लेपटॉप, 02 अदद आईफोन , 14 अदद एन्ड्रोइड फोन,15 अदद कीपैड फोन, 102 अदद सिम कार्ड, 710 मेल-आईडी, 28 लेखाजोखा के रजिस्टर, एक अदद वाइफाइ मोर्डम एवं फर्जी कम्पनियो से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रपत्र बरामद किये गये।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>

1. निरीक्षक श्री शावेज़ खान मय टीम साइबर क्राइम थाना ललितपुर जनपद ललितपुर।

<u>पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को 25 हजार रूपये की नगद पुरूष्कार राशि व प्रशस्ति- पत्र से सम्मानित किया जायेगा।</u>